कोपरा मध्यम परियोजना

वैकल्पिक एलाइनमेंट की जानकारी

योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व योजना में तीन वैकल्पिक एलाइनमेंट का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया था, तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार हैः–

स. क्र.	वैकल्पिक एलाइनमेंट	कुल भराव क्षमता मिघमी.	कुल डूब क्षेत्र हे. में.	प्रभावित वन भूमि हे. में	रिमार्क
1	एलाइनमेंट 1	48.43	1044.52	272	
2	एलाइनमेंट 2	48.43	1083.47	293.92	
3	एलाइनमेंट 3	48.93	1195.57	402.04	

अतः योजना निर्माण का विकल्प नं. 1 उपरोक्तानुसार सर्वोत्तम विकल्प है, अन्य विकल्प विस्थापन, वनभूमि एवं कृषि भूमि की डूबने की दृष्टि से तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से निर्माण योग्य सही प्रतीत नहीं होते हैं।

उपरोक्त तीनों विकल्पों पर मुख्य अभियंता धसान केन कछार जल संसाधन विभाग एवं अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल सागर द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विकल्प नं. 1 का प्रस्ताव तकनीकी रूप सही है। विकल्प नं. 1 जिस पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वहीं सर्वोत्तम विकल्प है।

उपयंत्री

(निशेष गोस्वामी)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग क्र. 3,
गढ़ाकोटा, सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
जल ससाधन सभाग क्र. 1,
सागर (म.प्र.)

नौरादेही अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्य प्राणी संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कोपरा बांध परियोजना की आवश्यकता एवं औचित्य पर संक्षिप्त टीप

1. कोपरा परियोजना की कुल भराव क्षमता 48.43 मि.घ.मी. में से 7.19 मि.घ.मी. मृत क्षमता के रूप में सदैव जलाशय में वन्य प्राणियों के लिये आरक्षित रखा जावेगा। इसके अतिरिक्त 1.00 मि.घ.मी. जल वन्य प्राणियों की पेयजल व्यवस्था (अर्थात् पाइप लाइन इत्यादि से विभिन्न स्थलों पर जल उपलब्ध कराने हेतु) हेतु पृथक से जलाशय की जीवित क्षमता में से आरक्षित किया गया है।

   वर्ष भर 7 मि.घ.मी. का जलभराव जलाशय में वन्य प्राणियों को उपलब्ध रहेगा। जिससे जलीय प्राणी जैसे मगरमच्छ आदि के विकास के लिये यह परियोजना क्रोकोडाइल सेंक्चुरी के रूप में विकसित हो सकेगी।

2. ग्राम छिरारी, बगासपुरा, हिनौती एवं इनके निकटवर्ती राजस्व ग्रामों से प्रतिदिन लगभग 3 से 4 हजार मवेशी धुसराघाट से अभ्यारण्य में प्रवेश करते हैं। अत्यधिक अनियंत्रित चराई के कारण शनैः शनैः भूमि बंजरपन की ओर जा रही है तथा वनक्षेत्र भी विकृत हो रहा है, अत्यधिक जैविक दबाव से वन्य प्राणियों का पयालन भी होता है। योजना नौरादेही अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा पर मुहली परिक्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित होगी, जो लगभग 10 कि.मी. लंबाई में अभ्यारण्य को राजस्व आबादी क्षेत्र से पृथक करेगी। जलाशय एक प्राकृतिक दीवार (अवरोध) का कार्य करेगा। जिससे सीमावर्ती ग्रामों के निवासियों का अभ्यारण्य क्षेत्र में प्रवेश स्वमेव प्रतिबंधित हो जावेगा। साथ ही साथ वन्य प्राणियों द्वारा किसानों की फसलों को पहुंचाया जा रहा नुकसान भी बंद हो सकेगा।

3. जलाशय निर्माण से अभ्यारण्य क्षेत्र में अतिक्रमण स्वमेव समाप्त हो जावेगा।

4. सीमावर्ती बंदरचुआ, घोघरी, हनौती आदि राजस्व ग्राम जिनका विस्थापन एवं पुनर्वास वन विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उनकी जमीन बांध के डूब में आने की वजह से उनका पुनर्वास एवं भू-अर्जन मुआवजा व्यय जल संसाधन विभाग द्वारा वहन किया जावेगा। जिससे सीमावर्ती ग्रामों के विस्थापन के भार से वन्य प्राणी विभाग मुक्त होगा।

ed by CamScanner

5. गहन अप्रत्याशित सूखा संभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अभ्यारण्य की सीमा पर जलाशय निर्माण वन्य प्राणियों को कठिनतम सूखाग्रस्त वर्ष में भी सुनिश्चित पेयजल स्त्रोत के रूप में उलपब्ध रहेगा। ग्रीष्मकाल में अभ्यारण्य के अंदर वन्य प्राणियों को जल उपलब्ध कराने हेतु बनाये गये सौंसर में इस जलाशय से सुगमता से पानी पंप करके भरा जा सकेगा।

6. केन नदी कछार मगरमच्छ प्रजाति के विकास के अनुकूल क्षेत्र माना जाता है। जलाशय के कारण मगरमच्छों को उनके प्राकृतिक आवासों में वृद्धि प्राप्त होगी।

7. अभ्यारण्य के समीप विशाल जलक्षेत्र के विकास से अभ्यारण्य में शीतकाल में आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जो पर्यटन विकास में सहायक होगी।

8. ग्रीष्मकाल में पानी की तलाश में वन्य जीवों का रहवासी क्षेत्र की ओर पलायन रूकेगा जो अप्रत्यक्ष रूप से यदा कदा उनके शिकारग्रस्त होने की संभावना से बचायेगा।

9. जलाशय के बांये तट पर उपलब्ध अभ्यारण्य के वृक्षरहित संरक्षित वनखण्ड को ECO Park के रूप में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

10. जलाशय निर्माण में प्रभावित हो रही लगभग 290 हे. वनभूमि के बदले अभ्यारण्य क्षेत्र के अंदर ही 437.757 हे. राजस्व भूमि परियोजना के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु न्यायालय कलेक्टर सागर के आदेश क्र. 8697/री.कले./17 सागर दिनांक 22.07.2017 द्वारा आरक्षित कर दी गई है। इस प्रकार योजना के निर्माण से अभ्यारण्य क्षेत्र के क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं होगी। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

11. लगभग 1200 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में विस्तृत मध्यप्रदेश के विशालतम अभ्यारण्य क्षेत्र के वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये प्रचुर मात्रा में जल स्त्रोतों का विकास नितांत आवश्यक है।

इस हेतु अभ्यारण्य की पूर्वी सीमा पर बह रही व्यारमा नदी एवं पश्चिमी सीमा पर बह रही कोपरा नदियों पर अभ्यारण्य के सीमावर्ती क्षेत्र में उपयुक्त स्थलों पर सिंचाई जलाशयों का निर्माण सर्वोत्तम विकल्प है। इस कार्य में आंशिक मात्रा में अभ्यारण्य की वन भूमि तो निश्चित ही प्रभावित होगी, जिसकी भरपाई अभ्यारण्य के अंदर के राजस्व ग्रामों की शासकीय राजस्व भूमि को अभ्यारण्य को सौंपी जाकर की

Scanned by CamScanner

जा सकेगी। परन्तु जलाशयों के निर्माण से जहां एक ओर सीमावर्ती इलाके के कृषकों की भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होने से उनकी समृद्धि होगी एवं उनका वनक्षेत्र पर अवलंबन/आश्रय दूर हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर जलाशय अभ्यारण्य क्षेत्र की सीमा सुरक्षा की प्राकृतिक दीवार बनेंगे एवं अभ्यारण्य क्षेत्र को मानवीय दबाव से मुक्त करेंगे। साथ ही वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं संवर्धन के लिये यथा स्थान सुनिश्चित, स्थाई जल भण्डार उपलब्ध हो सकेंगे। वन, वन्य प्राणी एवं जल का भू परिदृश्य पर्यटन विकास के लिये सर्वोत्तम परिस्थितियां प्रदान करेगा। **इस दृष्टिकोण से कोपरा जलाशय अभ्यारण्य विकास में मील का पत्थर साबित होगा।**

उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये कोपरा परियोजना हेतु आवश्यक अभ्यारण्य क्षेत्र की वनभूमि को जलाशय निर्माण हेतु सामान्य दर की नेट प्रजेन्ट वैल्यू के साथ हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(डी.के. मिश्रा)
जिला वन्य प्राणी अभिरक्षक
सागर (म०प्र०)

(ए.के. चौबे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र०एक,
सागर (म०प्र०)

(क्षितिज कुमार)
वन मंडल अधिकारी
नौरादेही वन्य प्राणी वनमंडल
सागर (म०प्र०)

(अवधेश [illegible])
उपसंचालक
कृषि सागर (म०प्र०)

([illegible] राय)
उपसंचालक
उद्यानिकी, सागर (म०प्र०)

(चंद्र शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सागर (म०प्र०)

(शिशिर कुशवाहा)
अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल
सागर (म०प्र०)

(विकास करण वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त सागर
सागर (म०प्र०)

(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला सागर, सागर (म०प्र०)